

आमिर सुबहानी भा०प्र०से०



बिहार सरकार

मुख्य सचिवालय, पटना-800 015

Government of Bihar

Main Secretariat, Patna-800 015

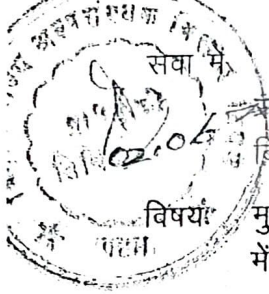
Tel. : 0612-2215804, Fax : 0612-221708

E-mail : cs-bihar@nic.in

मुख्य सचिव
AMIR SUBHANI, I.A.S.
Chief Secretary

Date-02/07/22
B.S.M.F.C. Ltd. Patna

पत्राक-अ०सं०क०-11-03/2014...../ पटना, दिनांक/...../20.....



सभी जिलाधिकारी
बिहार।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को लागू करने के संबंध में।

गहाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना के अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना एवं समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रायः देखा जा रहा है कि रोजगार ऋण योजना की आवंटित राशि का पूर्ण वितरण नहीं हो पा रहा है। अतः इस हेतु योजना के क्रियान्वयन की समयबद्ध रूपरेखा तैयार की गई है।

रोजगार ऋण योजना वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए कर्णांकित (उपलब्ध करायी गई एवं पूर्व से उपलब्ध कुल 200 करोड़ रुपये) राशि योग्य अल्पसंख्यकों में ससमय वितरित करने के लिए आवेदकों की स्थल जाँच हेतु पंचायतवार एवं प्रखण्डवार जाँच दल का गठन किया जाए। जाँच दल में पंचायत सचिव/ राजस्व कर्मी एवं अन्य प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों को शामिल करते हुए प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाय।

जाँच दल के द्वारा स्थल जाँच इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में किया जाय एवं यह जाँच कार्य दिनांक-15.06.2022 तक पूर्ण कर लिया जाय। साक्षात्कार की पूर्व निर्धारित तिथि की सूचना जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिसका उल्लेख स्थल जाँच की पावती/रसीद में होगा।

जाँचोपरान्त योग्य आवेदकों का जिला चयन समिति द्वारा दिनांक-30.06.2022 तक साक्षात्कार का कार्य पूर्ण कर लिया जाय तथा चयनित सूची 20 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची सहित बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को दिनांक-10.07.2022 तक उपलब्ध कराई जाय। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की मार्गनिर्देशिका, जिला का प्रखण्डवार कर्णांकित आवंटन, बैठक की कार्यवाही, स्थल जाँच प्रतिवेदन का प्रारूप एवं स्थल जाँच की पावती/रसीद का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अनुरोध है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की राशि के वितरण के लिए निर्धारित समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को ससमय योजना का लाभ पहुँचाया जा सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य सचिव

पटना, दिनांक 24.05.2022

ज्ञापांक- अ०सं०क०-11-03/2014 - 1298

प्रतिलिपि :- सभी सहायक निदेशक/सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव

24.5.22

(म.प्र.उ.)